समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
द्वितीय तल, (अपना घर ललित भवन के पीछे), नेहरू पथ, पटना (बिहार)-800023,
Email:- scps-bih@gov.in; Ph.: 0612 2545033

ज्ञापांक संख्या-10/BSAC(BCLA)-53, दिनांक-04.05.2026 का अनुलग्नक

आवासीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु

अभिरुचि आमंत्रण (Expression of Interest)

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, यथा संशोधित 2021, बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 एवं मिशन वात्सल्य में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्यान्तर्गत संचालित बाल देख-रेख संस्थानों में आवासित 16-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उन संस्थाओं को छोड़ने वाले युवाओं (केयर लीवर्स) को कौशल विकास के विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा- 1.Hotel Management 2.Hospitality Services 3.Tourism 4. Food & Beverages Processing 5.Beauty & Wellness 6.Cargo and Logistics 7.Business and Banking 8.Computer operator & Programming Assistant 9.General Duty Assistant 10.Textile or Garments Production 11.Environmental Management 12.Refrigeration & A/C (R & A/C) 13. Yoga & PT instructor 14. Agriculture or Dairy based courses में रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के इच्छुक प्रशिक्षण प्रदाता-सह रोजगार दाता संस्थाओं से अभिरूचि आमंत्रित किया जाता है।

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल विकास प्रशिक्षण प्रक्रम को संचालित करने वाली वैसी संस्थायें अथवा उपक्रम भी आवेदन करने के पात्र हैं, जो Corporate Social Responsibility के तहत अभिवंचित समुदाय के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें योग्य संस्थाओं में नियोजित करने/करवाने का अनुभव रखते हैं। इस उपक्रम में चयनित एजेंसी को विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्लेसमेंट की अवधि में बच्चों की देखभाल तथा उनकी संरक्षा एवं सुरक्षा अतिमहत्वपूर्ण है। इस हेतु किशोर न्याय अधिनियम एवं

D:Sangit Sir/RFP

नियमावली तथा बच्चों से संबंधित अन्य अधिनियमों अथवा नियमावलियों में वर्णित प्रावधानों तथा स्थापित सिद्धांतों का अनुपालन आवश्यक होगा।

विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों/युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्लेसमेंट के दौरान उन्हें सुरक्षित आवासन की सुविधा प्रदान करने तथा किशोर न्याय अधिनियम में वर्णित देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले (CNCP) एवं विधि का उल्लंघन करने वाले (CICL) बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव धारित करने वाली एजेंसी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

<u>रोजगार प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु अनिवार्य शर्तें:</u>

1. एजेंसी/संस्थान के पास बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग ऐसी सुविधाओं से युक्त आवासीय व्यवस्था हो जहाँ बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें मनोवैज्ञानिक देखभाल, मार्गदर्शन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की भी सुविधा दी जा सके।
2. ऐसी एजेंसी/संस्थान द्वारा प्रशिक्षण अवधि में युवाओं को कैंपस में ही आवासन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
3. एजेंसी/संस्थान के पास इंडस्ट्रियल यूनिट का स्वयं या कॉन्सोर्टियम या जॉइंट वेंचर सहित (जो भी लागू हो) का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 50 लाख रुपये का होना चाहिए।
4. विगत तीन वित्तीय वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है।
5. एजेंसी/संस्थान द्वारा इंडस्ट्रियल यूनिट का इंडस्ट्रियल आधार, पैन तथा आई०टी०आर० संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. प्रशिक्षणोपरांत एजेंसी द्वारा युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप प्लेसमेंट प्रदान किया जाना अनिवार्य है। एजेंसी से संबद्ध प्लेसमेंट एजेंसियों का टेस्टीमोनियल संलग्न करना आवश्यक है।
7. महिला प्रशिक्षुओं को रोजगार में प्लेस किये जाने वाले संस्थान में पूर्व से ही महिला कर्मी कार्यरत हों तथा उक्त कार्यस्थल उनके लिए सुरक्षित हो तथा सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक मापदंडों को पूरा करता हो।
8. Corporate Social Responsibility के तहत अभिवंचित समुदाय के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने से सम्बंधित गतिविधियों पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न किया जाना आवश्यक है।

9.	युवाओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात इंटर्नसिप के दौरान स्टाइपेंड के रूप में न्यूनतम 6000-8000 रू० की राशि प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।
10.	प्रशिक्षणोपरांत एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए रोजगार में रोजगार प्रदाता द्वारा नियोजित युवाओं के सन्दर्भ में तत्समय संबंधित राज्य में लागू श्रम कानून में वर्णित सभी अनिवार्य शर्तों का पालन तथा वेतन के रूप में न्यूनतम मासिक वेतन की राशि भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।
11.	युवाओं के प्रथम प्लेसमेंट के उपरांत उन्हें कम से कम 2 वर्षों तक आवश्यकतानुसार पुन: प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान किया जाना भी आवश्यक होगा।

नोटः- उपरोक्त सभी बिंदुओं में वर्णित शर्तों के सत्यापन हेतु एजेंसी द्वारा उपयुक्त दस्तावेजों को संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

इच्छुक संस्थान विज्ञापन प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर अपने प्रस्ताव वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर (वितीय प्रस्ताव को छोड़कर) सील बंद लिफाफे में बंद करते हुए निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार द्वितीय तल, (अपना घर ललित भवन के पीछे), बेली रोड, पटना-800023 पर निबंधित डाक या कूरियर के माध्यम से प्रेषित करें। निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर प्रथम चरण में विचार नहीं किया जायेगा। प्रस्तावों को उपयुक्त पाये जाने पर ही राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार द्वारा **गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन** (Quality-cum-Cost Based Selection) हेतु प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। उक्त विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति के पास संरक्षित रहेगा।

04/05/26

(ममता झा)
संयुक्त निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।

D:Sangit Sir/RFP